(96)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 महोदय, ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी क्रं0- /2012

1. प्यारेलाल तनय बाबू टीमर आयु 40 वर्ष
2. देशराज तनय बाबू टीमर आयु 30 वर्ष

निवासी ग्राम टोड़ी (कोयलन) तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

--निगराकारगण

वनाम

1. मुनुआ तनय गिरधारी नाई आयु 70 वर्ष
2. विमलेश तनय रमू उर्फ बटला नाई आयु 45 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम टोड़ी तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

--प्रतिनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-रा0 संहिता,

निगरानी प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिमरा के प्रकरण क्रमांक- 18/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक- 7.8.2012 के विरूद्ध जिसके तहत निगराकारगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि का रकबा 0.700 आरे भूमि प्रतिनिगराकारगणों के पक्ष में निकाल दी है ।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं :-

1/- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश विधि विधान एवं मूल पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल है । वह

2/- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार यह था कि प्रतिनिगराकारगण के भूमि खसरा नम्बर- 100/1ख, रकबा 1.619 हेक्टेयर स्थित ग्राम टोड़ी तहसील पृथ्वीपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2790-दो/2012 जिला टीकमगढ़ **प्यारेलाल विरूद्ध मुनुआ**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार सिमरा के सीमांकन आदेश दिनांक 07-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 21.12.18 सदस्य	